Introduction of Inter-Services Organisations (Command, Control and Discipline) Bill, 2023

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM (ADV. AJAY BHATT): Sir, on behalf of Shri Rajnath Singh, I beg to move for leave to introduce a Bill to empower the Commander-in-Chief or the Officer-in-Command of Inter-services Organisations in respect of service personnel who are subject to the Air Force Act, 1950, the Army Act, 1950 and the Navy Act, 1957, who are serving under or attached to his command, for the maintenance of discipline and proper discharge of their duties, and for matters connected therewith or incidental thereto. ? (Interruptions)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

?कि सेना कार्मिक, जिनको वायु सेना अधिनियम, 1950, सेना अधिनियम, 1950 और नौसेना अधिनियम, 1957 लागू होता है, जो अनुशासन बनाए रखने और अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अपनी कमान के अधीन सेवा कर रहे हैं या उससे संलग्न हैं, के संबंध में अंतर-सेना संगठनों के चीफ कमांडर या कमांड आफिसर को सशक्त करने के लिए और उससे संलग्न या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

? (व्यवधान)

ADV. AJAY BHATT: Sir, I introduce the Bill.

माननीय सभापति : मेरा आप सभी से निवेदन है। आपके बारे में कुछ कहना है, सभी को बताना है और पूरे हाउस को भी बताना है कि हम विधि-विधान कार्य करने के लिए बैठे हैं।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : लेजिस्लेटिव बिजनेस ट्रांजेक्ट करने के लिए यह पार्लियामेंट है। इस सिलसिले में मेरा आप सभी से निवेदन है कि हाउस में ऑर्डर लाने के लिए सिर्फ चेयर ही एकमात्र व्यवस्था नहीं है, बल्कि हर-एक मेंबर को भी यह काम करने की आवश्यकता है।

? (व्यवधान)